सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:– 40 / प्रा0पत्र / 2025 दायरा दिनांक :–18.02.2025

GCMS ID-2025 / 17

बउनवान

1. मुर्ति बाई आयु 47 वर्ष पुत्री रतनलाल जाति कीर निवासी पंगारा हाल निवासी बडगांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज.

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थी :– श्री चन्द्रप्रकाश जैन।
वकील अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक :– 29 / 01 / 2026

उपरोक्त विषय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या नया 38 की भूमि ख.सं. 1961,1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1994,3255 / 1995 कुल किता 11 कुल रकबा 2.3472 हेक्टेयर वाके ग्राम पंगारा पटवार मण्डल पंगारा तहसील हिण्डोली मे विरिथत है, जो प्रार्थीया की सहखातेदारी मे दर्ज है, उक्त भूमि प्रार्थीया अपने पिता से विरासत में प्राप्त हुई है, प्रार्थीया अपने हिस्से की भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थीया को बचपन अवस्था में घर पर नोरती के नाम से पुकारते थे, इस कारण प्रार्थीया के पिता की मृत्यु होने के बाद हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीया के नाम की सही जांच किये बिना राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण खोलते समय प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियो के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का घरेलु नाम नोरती के नाम का इन्द्राज कर दिया, जबकि प्रार्थीया का सही नाम मुर्ति बाई है, इसलिये हल्का पटवारी द्वारा दर्ज किया गया इन्द्राज अवैध एवं निरस्तनीय है। प्रार्थीया के सभी सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पासबुक्स, राशन कार्ड, पेनकार्ड, जॉबकार्ड आदि मे प्रार्थीया का नाम मुर्ति बाई दर्ज है लेकिन राजस्व रिकार्ड की भूमि प्रार्थना

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियो के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम नोरती दर्ज कर दिये जाने की वजह से प्रार्थीया अपनी उपरोक्त भूमि पर सरकारी योजनाओ का लाभ भी नहीं ले पा रही है। प्रार्थीया का नाम मुर्ति बाई है और पहचान के सभी दस्तावेजात में भी मुर्ति बाई ही नाम दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये गये इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर नोरती के स्थान पर मुर्ति बाई दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। उक्त नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थीया ने पटवारी हल्का के पटवारी के समक्ष व तहसीलदार साहब के यहा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश लाये बिना नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करने से दिनांक 25.01.2025 को इन्कार कर दिया यही प्रार्थना पत्र का कारण है। प्रार्थीया को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीया प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियो के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अपना नाम नोरती के इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर मुर्ति बाई दर्ज करवावे एवं उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर सही नाम मुर्ति बाई दर्ज करवावे। उपरोक्त भूमिया वाके ग्राम पंगारा पटवार मण्डल पंगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी मे विरिस्थत होने से एवं श्रीमान लेण्ड रिकोर्ड ऑफिसर होने से लेण्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि खाता संख्या नया 38 की भूमि ख.सं. 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1994,3255/1995 कुल किता 11 कुल रकवा 2.3472 हैक्टेयर वाके ग्राम पंगारा पटवार मण्डल पंगारा तहसील हिण्डोली के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज प्रार्थीया का नाम नोरती के इन्द्राज को दुरूस्त कर उक्त स्थान पर मुर्ति बाई दर्ज कर राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी की ओर से तहसीलदार हिण्डोली के पत्रांक :— राजस्व/26/04 दिनांक :—01.01.2026 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक ग्राम पंगारा के खाता संख्या 38 में प्रार्थीया का नाम नोरती पुत्री रतनलाल सहखातेदार के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मजमा—ए—आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियों/सहखातेदारान अनुसार उक्त खाता नम्बर में दर्ज नोरती पुत्री रतनलाल व मुर्ति बाई पुत्र रतनलाल एक ही महिला के नाम होने से रिकॉर्ड में दर्ज नोरती पुत्र रतनलाल के स्थान पर पर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

प्रार्थीया का नाम मुर्ति बाई पुत्री रतनलाल शुद्ध दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थीया को उक्त भूमि विरासत से प्राप्त हुई।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीया की बहस सुनी। वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया का सही नाम मुर्ति बाई पुत्री रतनलाल है जिसे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं अप्रार्थी पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जॉब कार्ड, परिवार राशन कार्ड, पेन कार्ड, ग्राम पंचायत पंगारा प्रमाण पत्र पेश किए है जिसमें प्रार्थीया का सही नाम मुर्तिबाई दर्ज है। प्रकरण में रिपोर्ट तहसीलदार, हिण्डोली द्वारा भी प्रार्थीया द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: <u>क्रियात्मक आदेश</u> :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम पंगारा प0मं0 पंगारा के खाता संख्या 38 में दर्ज प्रार्थीया के नाम नोरती पुत्र रतनलाल के स्थान पर मुर्ति बाई पुत्री रतनलाल शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :–29.01.2026 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

29/01/2026

(शिवराज मीणा)

आर0ए0एस

उपखण्ड अधिकारी

हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446